UPRB010040422026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1744/2026

विजय कुमार उर्फ रजनू उम्र लगभग 19 वर्ष, पुत्र राजेन्द्र पासी निवासी ग्राम मुर्दीपुर मझिगवां, थाना सरेनी, जनपद रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

02–07–2026

आवेदक–अभियुक्त **विजय कुमार उर्फ रजनू** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **138/2026**, धारा–**137(2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **लालगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी कि–प्रार्थी बब्लू निर्मल पुत्र नन्कू निवासी ग्राम मेरूई, थाना लालगंज, जिला–रायबरेली का मूल निवासी है। मेरी पुत्री सोनाली उम्र 16 वर्ष के लगभग कही चली गयी है। खोज–बीन करने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति जिस का मोबाईल नं0–9625326689/ 9625326689 है घटना दिनांक 08. 05.2026 समय 3 बजे दिन की है। जो भगा ले गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 B.N.S.S. अंकित किया गया मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या व केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–01.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला करागार रायबरेली में निरूद्ध है। वादी मुकदमा की पुत्री सोनाली अपने परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रार्थी/अभियुक्त

के घर चली आयी थी उस समय प्रार्थी / अभियुक्त रोजगार के सिललिसे से जम्मू में भट्ठे पर काम कर रहा था जिसके मोबाइल की लोकेशन से भी जम्मू में मौजूद रहने का प्रमाण–पत्र मिल सकता है। वादी मुकदमा की पुत्री सोनाली से प्रार्थी / अभियुक्त का इन्टाग्राम के माध्यम से सम्पर्क हुआ था उसी सम्पर्क से जान पहचान हो गयी थी, किन्तु दोनों लोगों की आपस में कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, मात्र इन्टाग्राम की पहचान की वजह से ही वादी मुकदमा की पुत्री सोनाली अपने परिजनों के उत्पीड़न की वजह से तंग आकर प्रार्थी/अभियुक्त के पैतृक निवास स्थान बिना अपने परिजनों को सूचना दिये चली आयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया है प्रार्थी / अभियुक्त पर निराधार व मनगढ़न्त आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से कानून के जानकार से सलाह मशविरा के तहत पुलिस से सांठ–गांठ करके अंकित करायी गयी है। मामले में पुलिस द्वारा कोई विधिक प्रत्यापक व विनिश्चयक साक्ष्य संकलित नही की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा–साधा अशिक्षित गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिसे मनगढ़न्त वः काल्पनिक तथ्यों के आधार पर फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक–अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा पीड़िता जो कि एक नाबालिग बालिका है, को बहला फुसला कर आपराधिक कृत्य करने के आशय से भगाया गया है अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व आवेदक–अभियुक्त की ओर से लिये गये बचाव के अनुसार वादी द्वारा दिनांक 08–05–2026 को समय 03.00 उसकी 16 वर्षीय पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगा कर ले जाने के सम्बन्ध में मु०अप०सं० 138/2026 धारा 137(2),87BNS के अपराध हेतु दिनांक 12–05–2026 को 00.10 बजे अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। तदोपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट व मोबाइल नम्बरों से प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आने पर प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01–06–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी की पुत्री कथित पीड़िता द्वारा अपने धारा 183BNSS के बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार के कथित आरोप की पुष्टि नही की है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि–" मैं विजय पुत्र राजेन्द्र से लगभग एक साल से बात कर रही थी। मेरे घर वालों को शक रहता था और वह मुझे बात करने से डांटते थे। तो 08.05.2026 को दिन के तीन बजे बिना किसी को बताये विजय से बात करके उसके घर चले गये। वहाँ पर 20 दिन रहे। विजय घर पर नहीं था वह जम्मू में भटटे पर काम करता है। विजय के घर पर उसके पापा और दो भाई और उनकी पत्नी थी। मेरे साथ कोई दबाव नही

बनाया गया। मैं अपनी मर्जी से गयी।" अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त को **विजय कुमार उर्फ रजनू** अपराध संख्या– **138/2026, धारा–137(2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना लालगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
02–07–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.02 16:16:41 IST
Reason: Document Owner order
Location: District and Sessions Court,Raebareli